मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांकः मार्च, 2009

आदेश

कमांक एफ 5/16/2000/10-3: राज्य शासन के सम संख्यक आदेश दिनांक 12-9-2008 एवं 12-2-2009 के द्वारा ग़ैर वानिकी प्रयोग हेतु नेट प्रेजेन्ट वेल्यू के दरें निर्धारित करते हुए कतिपय प्रकरणों में दी गई छूट का भी उल्लेख किया गया है।

2/ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत शासन के ज्ञाप कमांक 5-3/2007-एफसी 55 दिनांक 5-2-09 के द्वारा निर्देश जारी किये गये है जिसके तारतम्य में राज्य शासन सम संख्यक आदेश दिनांक 12-9-08 (समसंख्यक आदेश दिनांक 12-2-2009 के द्वारा यथा संशोधित) मे निम्नानुसार पैरा 5 जोडता हैः-

5. फील्ड फायरिंग रेंज के प्रकरणों में नेट प्रेजेन्ट वेल्यू से पूर्णतः छूट होगी बशर्ते निम्न शर्तो का पालन किया जावेः-
(क) किसी भी वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी।
(ख) वन को नुकसान होने की कोई संभावना नहीं होगी।

3/ शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17/3/09
(रतन पुरवार)
सचिव
म0प्र0शासन, वन विभाग

पृ0कमांक एफ 5/16/2000/10-3 भोपाल,दिनांकः मार्च, 2009
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव म0प्र0शासन वित्त विभाग/खनिज साधन विभाग/उर्जा विभाग/राजस्व विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग/ लोक निर्माण विभाग मंत्रालय

कार्या.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-अभि.)
मध्यप्रदेश भोपाल
19/3/09

आवक क्र. 287
दिनांक 20/3/09

भोपाल
2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 भोपाल
3 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0भोपाल
4 समस्त आयुक्त मध्यप्रदेश
5 समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश
6 समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश
7 समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश
8 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष - भू.प्रबंध) म०प्र० भोपाल

क्रमांक/ भूप्र-5/09/10-11/736 भोपाल, दिनांक 4-4-09

प्रतिलिपि:

1. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय) म०प्र०।
2. समस्त वन मंडल अधिकारी (क्षे०) म०प्र०।
3. प्रभारी बजट शाखा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

04/4/09

मु0 मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

4-4-09